

कार्यालय कलेक्टर, जिला – कोण्डागांव, छत्तीसगढ़
(आदिवासी विकास शाखा)

क्रमांक/आ0वि0/एकलव्य/502 /2023-24

कोण्डागांव, दिनांक -10/5/2023

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु अतिथि शिक्षकों (निश्चित मानदेय) की व्यवस्था हेतु

-:विज्ञप्ति सूचना:-

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु गठित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर छ0ग0 के अंतर्गत जिला कोण्डागांव में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अस्थाई रूप से मानदेय पद अध्यापन कार्य हेतु अतिथि शिक्षकों (फ़ेश/सेवानिवृत्त शिक्षकों) निश्चित मानदेय की व्यवस्था हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑफ़लाईन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।

विज्ञापन का विस्तृत विवरण विभाग के वेबसाईट <http;www.eklavya.cg.nic.in> पर तथा जिला के वेबसाईट [www.kondagaon.gov.in](http;www.kondagaon.gov.in) पर अवलोकन किया जा सकता है।

आवेदन संबंधी तिथियां:-

क्र0	विवरण	अभ्यर्थियों हेतु अंतिम तिथि
1	आवेदन करने की अंतिम तिथि	20/05/2023

सहायक आयुक्त एवं सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय
एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला कोण्डागांव

पृ0क्रमांक/आ0वि0/एकलव्य/503 /2023-24
प्रतिलिपि:-

कोण्डागांव, दिनांक -10/05/2023

1. आयुक्त/पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला कोण्डागांव की ओर सादर सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक जनसम्पर्क जिला कोण्डागांव को उपरोक्तानुसार प्रेस विज्ञप्ति जारी कर समाचार पत्रों में प्रकाशन संबंधी कार्यवाही हेतु।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी कोण्डागांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया जिले के वेबसाईट [www.kondagaon.gov.in](http;www.kondagaon.gov.in) पर अपलोड करने संबंधी कार्यवाही हेतु।

सहायक आयुक्त एवं सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय
एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला कोण्डागांव

**कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय समिति
आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला कोण्डागांव**

क्रमांक / /आ.वि./EMRS/भर्ती/2023-24

कोण्डगांव दिनांक /05/2023

**एकलव्य आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अतिथि शिक्षकों की
व्यवस्था हेतु विज्ञप्ति सूचना**

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत प्रतिशत पोषित तथा छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम संस्थान समिति रायपुर द्वारा जिला कोण्डागांव जिला स्तरीय समिति के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु शिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानदेय पर अस्थाई रूप से सी.बी.एस.ई पैटर्न पर विद्यालय संचालन हेतु फ्रेश अभ्यर्थियों/शासकीय शिक्षकों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों से "प्रतिकालखण्ड" आधार पर अतिथि शिक्षक एवं निश्चित मानदेय पर लिया जाना है।

1. रिक्तियों की संख्या— कुल विषयवार शिक्षकों की संभावित आवश्यकता निम्नानुसार है, जो परिवर्तनीय है:-

क्र	जिला	विकासखण्ड	एकलव्य विद्यालय का नाम	पी0जी0टी								टी0जी0टी					अधीक्षक		पी. टी. आई	योग		
				हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	भौतिक	रसायन	जीवविज्ञान	वाणिज्य	कम्प्यूटर	सांस्कृतिक	हिन्दी	अंग्रेजी	संस्कृत	गणित	विज्ञान	सा.विज्ञान			पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
01	कोण्डागांव	कोण्डागांव	गोलावण्ड	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
02		फरसगांव	चिचाडी	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
03		माकडी	शामपुर	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
04		केशकाल	बेडमा	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
05		बडेराजपुर	कोरगांव	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
योग:-				1	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17	

2. पदों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:-

विज्ञापित पदों हेतु अनिवार्य योग्यता संबंधी विवरण निम्नानुसार है:-

(1) पी0जी0टी:-

1). न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एनसीईआरटी के रिजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 02 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री।

(2) आवेदकों को जिले में स्थित विद्यालयों के लिए प्राथमिकता क्रम से विद्यालय चयन करना होगा।

5. चयन समिति:-

1. कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय समिति द्वारा नामांकित 01 प्रतिनिधि –अध्यक्ष
 2. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना –सदस्य
 3. जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य
 4. जिला स्तरीय समिति से एक शिक्षाविद्(कलेक्टर द्वारा नामांकित) –सदस्य
 5. विद्यालय/महाविद्यालय से एक विषय विशेषज्ञ –सदस्य
 6. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास –सदस्य सचिव
 7. प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय(01 प्राचार्य) –सदस्य
- उपरोक्त समिति योग्यता मापदण्ड शिक्षण अनुभव और आवश्यक हुआ तो साक्षात्कार के आधार पर मूल्यांकन कर शिक्षकों का पैनल सूची बनाई जायेगी।
6. योग्यता सूची तैयार करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए चयन का मापदण्ड :-
 - अ. पी0जी0टी जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर है के लिए

क्र0	योग्यता	अंक भार
1.	हायर सेकण्डरी के अंकों का	20%
2.	स्नातक के अंकों का	30%
3.	स्नातकोत्तर के अंकों का	50%
अतिरिक्त अंक		
4.	कार्य अनुभव (03 वर्ष हेतु –03 अंक, 04 अंक, 05 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के अनुभव हेतु अधिकतम–05 अंक) (03 वर्ष से अधिक अनुभव के पश्चात् छः माह से अधिक अनुभव को पूर्ण वर्ष माना जावेगा। छःमाह से कम अनुभव के लिए कोई अंक नहीं दिया जावेगा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-छः के अनुसार	03 वर्ष–03 अंक 04 वर्ष–04 अंक 05 वर्ष या 05 वर्ष से अधिक वर्ष –05 अंक
5	जिसकी माध्यमिक हाई स्कूल हायर सेकण्डरी तथा महाविद्यालयीन शिक्षा अग्रेंजी माध्यम से हुआ हो	05 अंक
6	केवल महाविद्यालयीन शिक्षा अग्रेंजी माध्यम में हुई हो तो	04 अंक
7	हायर सेकण्डरी तक की शिक्षा अग्रेंजी माध्यम में हुई हो तो	02 अंक

7. **अनुभव :-** अनुभव प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-छः) मान्य करने हेतु शासकीय शाला केन्द्र /राज्य /शासन के अधीन /शासकीय अनुदान प्राप्त शाला में कार्य किये होने पर ही मान्य होगा।

प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संस्था /अनुदान प्राप्त शाला से अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास /जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण अधीन से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।

4. अतिथि शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराया जा सकता है यदि उपलब्ध हो व्यक्तिगत/साझा करने के आधार पर निःशुल्क जो उन्हें अनुबंध समाप्त होने के 07 दिनों के भीतर खाली करना होगा।
5. एकलव्य विद्यालय में नियमित शिक्षक/पद्धारी के शामिल होने के मामले में जहां अतिथि शिक्षक कार्य कर रहा है, अतिथि शिक्षक को अन्य एकलव्य विद्यालय में तैनात किया जा सकता है, जहां उक्त रिक्ति मौजूद हो, बशर्ते अतिथि शिक्षक का प्रदर्शन संतोषजनक हो और अतिथि शिक्षक ने आवेदन पत्र में उस एकलव्य विद्यालय के विकल्प का प्रयोग किया। तथापि अतिथि शिक्षक कमी की स्थिति में अतिथि शिक्षकों की सहमति से किसी भी एकलव्य विद्यालय में पदस्थापना किया जा सकता है।
6. अतिथि शिक्षक का नियुक्ति केवल एक शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए वैध रहेगा। हालांकि अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में या अतिथि शिक्षक के संतोषजनक प्रदर्शन के साथ अतिथि शिक्षक के नियुक्ति की वैधता को अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए NESTS के पूर्व अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है। अतिथि शिक्षक के साथ एक नए अनुबंध में प्रवेश करें बशर्ते कि रिक्ति अभी भी मौजूद हो।
7. अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए अतिथि शिक्षकों के पैनेल बनाने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगी।

ब. सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु:-

1. चयनित उम्मीदवारों को एकलव्य विद्यालयों में अतिथि शिक्षक सेवानिवृत्त शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जहां उन्हें रिक्ति/छुट्टी रिक्ति के मामले में तैनात किया जाएगा।
2. सेवानिवृत्त शिक्षकों को मासिक आधार पर 10 महीने से अधिक की अवधि के लिए या नियमित पद्धारी के शामिल होने तक जो भी पहले हो, के लिए रखा जाएगा।
3. सेवानिवृत्त शिक्षकों के काम के घंटे नियमित शिक्षकों के समान होंगे।
4. एक वर्ष में 08 आकस्मिक अवकाश के प्रावधान की अनुमति होगी।
5. सेवानिवृत्त शिक्षकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियों नियमित शिक्षक/पद्धारी के समान या समान होंगी। नियमित कक्षा गतिविधि, प्रतिलिपी सुधार, अनुरक्षण कर्तव्य, मूल्यांकन कर्तव्य, विभिन्न साहित्यिक, सह पाठ्यचर्चा, खेल गतिविधियों, अनुरक्षण कर्तव्य, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन प्राचार्य द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों आदि के लिए छात्रों को तैयार करना।
6. सेवानिवृत्त अतिथि शिक्षकों को एक अधिकृत चिकित्सा व्यवसायी से चिकित्सा-सह-फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. सेवानिवृत्त शिक्षक को उनकी उपलब्धता के आधार पर मुफ्त आवास व्यक्तिगत/साझा करने के आधार पर प्रदान किया जा सकता है, जिसे उन्हें अनुबंध की समाप्ति के 7 दिनों के भीतर खाली करना होगा।
8. एक सेवानिवृत्त शिक्षक को आने वाले वर्षों के सेवानिवृत्त शिक्षक के लिए विचार किया जा सकता है, बशर्ते उसका प्रदर्शन संतोषजनक हो। तथापि यदि अन्यथा पात्र हो तो उन्हें प्रत्येक वर्ष किसी अधिकृत चिकित्सक से चिकित्सा-सह-फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

11. आवेदन करने हेतु सामान्य निर्देश:-

1. पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। राज्य/जिला स्तरीय समिति को अधिकार होगा कि यह विज्ञापन को किसी भी समय निरस्त कर सकता है या रिक्त पदों में से पूरे या आंशिक रूप से भर्ती कर सकता है। समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह विज्ञापन की प्रक्रिया व शर्तों को आवश्यकता होने पर बिना किसी सूचना के संशोधन या परिवर्तन कर सकता है।
2. आवेदन पत्र में पूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी मूल अभिलेख में त्रुटि पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

- . PGT **हिन्दी**— हिन्दी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो स्नातक स्तर पर भी हिन्दी विषय होना चाहिये।
 - . PGT **गणित**—गणित या एप्लाइड गणित में स्नातकोत्तर उपाधि में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो स्नातक स्तर पर ही गणित विषय होना चाहिये।
 - . PGT **भौतिकी**—भौतिकी/एप्लाइड भौतिकी/न्यूक्लियर भौतिकी में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो स्नातक स्तर पर भी भौतिकी विषय होना चाहिये।
 - . PGT **रसायन विज्ञान**—रसायन विज्ञान/जैव रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी रसायन विषय होना चाहिये।
- I. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या समकक्ष डिग्री अनिवार्य।
 - II. राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET Paper-II) या केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET Paper-II) में पात्रता।
- . व्यायाम शिक्षक पाठ्यक्रम (बी0पी0एड) मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक हो।

वांछनीय योग्यता:-

- . हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता। जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र में सत्यापित करना होगा।
- . शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।

3. आयु की गणना:-

फ़ेश अभ्यर्थी शिक्षक

- (अ) पीजीटी और टीजीटी के लिए -01 अप्रैल 2023 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष है।
- (ब) छात्रावास अधीक्षक के लिए—न्यूनतम 26 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष है।

सेवानिवृत्त शिक्षक

- (अ) सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए—अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष (01 अप्रैल 2023) की स्थिति में होगी। बशर्ते वे आवासीय व्यवस्था में काम करने के लिए चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ हो। चिकित्सा—सह—फिटनेस प्रमाणपत्र जमा करना।

4. चयन प्रक्रिया:-

- (1) विद्यालयों के लिए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट तैयार कर पदवार शिक्षकों का एक पैनल तैयार करेगी। यदि आवश्यक हुआ साक्षात्कार आयोजित कर शैक्षणिक मूल्यांकन के साथ साक्षात्कार के अंक जोड़ कर अंतिम मेरिट सूची के आधार पर अंतिम पैनल तैयार किया जायेगा जिसे वर्ष भर में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए उपयोग में लाया जायेगा।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य किए हुए शिक्षकों /अतिथि शिक्षकों को मेरिट सूची में प्राथमिकता दी जावेगी।

8. नियुक्ति के संबंध में :-

1. चयनित अतिथि को किसी भी प्रकार का नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जायेगा।
2. चयनित उम्मीदवारों को एकलव्य आदर्श विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य पर लिया जा सकता है, जहां उन्हें रिक्ति /छुट्टी रिक्ति के मामले में तैनात किया जाएगा।
3. कार्य पर किय जाने वाले अतिथि शिक्षक को एक अनुबंध प्रारूप में अनुबंध कराया जायेगा। जिसमें विभिन्न शर्तों के अधीन चालू शैक्षणिक सत्र 2023-24 तक कार्य करने एवं कार्य दायित्वों का उल्लेख होगा। अनुबंध शैक्षणिक वर्ष 2023-24 या रिक्ति अवधि मातृत्व अवकाश या बाल देखभाल अवकाश या 30 दिनों से अधिक की कोई अन्य लंबी छुट्टी तक या नियमित पद्धारी के स्पष्ट रिक्ति के मामले में शामिल होने तक जो भी पहले हो, तक वैध होगी।
4. अतिथि शिक्षक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में नियमित पदस्थापना के लिए दावा नहीं करेंगे।

9 मानदेय:-

1. फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षक – परिश्रमिक/मानदेय का भुगतान फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षकों को व्याख्यान/कालखण्ड के आधार पर किया जाएगा।

2. परिश्रमिक:-

अ. पी0जी0टी एवं टी0जी0टी हेतु:-

पीजीटी-Rs 320/-प्रतिकालखण्ड के मान से अधिकतम रु 45000/- प्रतिमाह के मान से एवं टीजीटी- Rs 300/- प्रतिकालखण्ड के मान से अधिकतम रु 42000/- प्रतिमाह के मान से। अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम 05 कालखण्ड प्रति दिन और अधिकतम 06 कालखण्ड आबंटित किया जा सकता है। प्रति अवधि के आधार पर अतिथि शिक्षकों का अधिकतम वेतन नियमानुसार अधिकतम तक किया जाता है।

3. **सेवानिवृत्त शिक्षक:-** परिश्रमिक का भुगतान –सेवानिवृत्त शिक्षकों को मासिक आधार पर किसी भी विकल्प का पालन करके भुगतान किया जाएगा। सेवानिवृत्त शिक्षक की नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है और नोटिस अवधि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

10. सामान्य निर्देश:-

अ. अतिथि शिक्षकों हेतु:-

1. छात्रावास अधीक्षक को गर्मी और सर्दियों की छुट्टी और शरद ऋतु की छुट्टी या लगातार 15 या अधिक दिनों के किसी अन्य अवकाश के दौरान भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की छुट्टी की विद्यालय से अनुपस्थिति माना जाएगा और इस बिना वेतन छुट्टी माना जाएगा।
2. अतिथि शिक्षकों की सेवाएं बिना कोई कारण बताएं किसी भी समय केवल 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर समाप्त की जा सकती है।
3. अतिथि शिक्षकों के कार्य के घंटे नियमित शिक्षकों के समान होंगे। अतिथि शिक्षकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां नियमित/पद्धारी के समान होंगी। नियमित कक्षा गतिविधि, प्रतिलिपि सुधार, निरीक्षण कर्तव्य, मूल्यांकन कर्तव्य, छात्रों को विभिन्न साहित्यिक, सह पाठ्यचर्या, खेल गतिविधि अनुरक्षण कर्तव्य, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन, प्राचार्य द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों आदि शामिल होंगे।

3. विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन/सूचना जिले के वेबसाइट www.Kondagaon.gov.in पर अपलोड कर सूचित किया जावेगा। किसी भी प्रकार की सूचना डाक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।
4. शिक्षकों का ऑकलन प्रतिमाह किया जायेगा। शिक्षण कार्य एवं कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर तत्काल कार्य से निकाला जा सकता।
5. किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नियमितिकरण के संबंध में किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करेंगा। इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. चयन प्रक्रिया में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा और इस संबंध में किसी प्रकार का दावा भी मान्य नहीं किया जावेगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र /कार्य आदेश पत्र जारी नहीं किया जावेगा।
8. किसी प्रकार की सिफारिश पाये जाने पर उसकी अभ्यार्थिता समाप्त कर दी जावेगी।
9. इस भर्ती के संबंध में किसी भी प्रकार का न्यायालयीन क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ राज्य होगा।

12. अभ्यार्थियों द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया :-

1. विज्ञापन के पदों पर आवेदन केवल ऑफलाइन स्वीकार किया जावेगा जो जिले के वेबसाइट www.Kondagaon.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी जिलावार रिक्त पदों के लिए पृथक-पृथक ऑफलाइन आवेदन कर सकता है।
2. समस्त दस्तावेज की प्रतिलिपि मूल अभिलेख से मिलान कर स्व-प्रमाणित होना चाहिए।
3. निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप में समस्त स्व-प्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद बड़े लिफाफा में सील बंद कर " कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव, पिन-494226" के नाम से रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाये। भेजे जाने वाले लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक/अधीक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023-24 एवं आवेदित पद का नाम लिखा जाना अनिवार्य होगा।

13. स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि :- 20/05/2023

सहायक आयुक्त एवं सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय
एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला कोण्डागांव

परिशिष्ट-एक

// फेश अभ्यर्थियों के लिए मूल दस्तावेजों की सूची //

1. हाई स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची/प्रमाण पत्र
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची /प्रमाण पत्र
3. स्नातक की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
5. बी0एड उत्तीर्ण की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
6. CTET/STETउत्तीर्ण की अंकसूची /प्रमाण-पत्र
7. कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र (शासकीय एव अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-छः के अनुसार)

परिशिष्ट-दो

// सेवानिवृत्त शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए मूल दस्तावेजों की सूची //

1. हाई स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची/प्रमाण पत्र
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची /प्रमाण पत्र
3. स्नातक की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
5. बी0एड उत्तीर्ण की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
6. CTET/TETउत्तीर्ण की अंकसूची /प्रमाण-पत्र
7. कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र (शासकीय एव अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-छः के अनुसार)
8. सेवानिवृत्त शिक्षक हेतु - उसके सेवानिवृत्त के पहले कार्यरत रहे संस्था प्रमुख से उसके सेवानिवृत्त की तिथि तथा उसके कार्यव्यवहार के संबंध में प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।(परिशिष्ट-पांच)

परिशिष्ट-तीन

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अंशकालिन अतिथि शिक्षक के
फ़ेश अभ्यार्थी हेतु आवेदन पत्र-वर्ष 2023-24

1. आवेदित जिले का नाम :-.....
2. संवर्ग का नाम शैक्षणिक संवर्ग.....
3. आवेदित पदनाम :-.....
4. नाम :-.....
5. लिंग(महिला / पुरुष / ट्रांसजेंडर) :-.....
6. पिता / पति का नाम :-.....
7. जाति / वर्ग :-.....
(अ.ज.जा. / अ.जा. / अ.पि.व. / निशक्त / आर्थिक पिछडा / सामान्य)
8. जन्मतिथि :-.....
9. आयु (दिनांक 01.04.2023 का आयु) :-.....
10. पत्राचार का पूर्ण पता :-.....
.....
11. मोबाईल नं. :-.....
12. ई-मेल आईडी :-.....
13. आधार नंबर है :-.....
14. शैक्षणिक योग्यता

क्र	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत मै / ग्रेड	अध्ययन का माध्यम हिन्दी / अंग्रेजी
1	High School							
2	Higher Secondary School							
3	Graduation							
4	Post Graduation							
5	B.ed							
6	CTET/TET							
7	other							

15. अनुभव:

(अ) क्या आप एकलव्य आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक कार्य का अनुभव है हां/नही

क्र	संस्था का नाम	पदनाम	अवधि		कुल अवधि	
			कब से	कब तक	कब से	कब तक

16. पदस्थापना हेतु प्राथमिकता का क्रम:-

EMRS के विकल्प :-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

घोषणा पत्र

मैं..... घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में पूर्णतः सही है। विज्ञापन की सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया/ली हूँ तथा इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी अनुसार सत्य पूर्ण एवं सही है एवं आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत/असत्य पाये जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक:-.....

स्थान:-.....

आवेदक के पूर्ण हस्तरक्षार

(पूरा नाम एवं पता)

.....

परिशिष्ट-चार

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षक के
फ़ेश अभ्यार्थी हेतु आवेदन पत्र-वर्ष 2023-24

1. आवेदित जिले का नाम :-.....
2. संवर्ग का नाम शैक्षणिक संवर्ग.....
3. आवेदित पदनाम :-.....
4. नाम :-.....
5. लिंग(महिला/पुरुष/ट्रांसजेंडर) :-.....
6. पिता /पति का नाम :-.....
7. जाति/वर्ग :-.....
(अ.ज.जा./अ.जा./अ.पि.व./निशक्त/आर्थिक पिछडा/सामान्य)
8. जन्मतिथि :-.....
9. आयु (दिनांक 01.04.2023 का आयु) :-.....
10. पत्राचार का पूर्ण पता :-.....
.....
11. मोबाईल नं. :-.....
12. ई-मेल आईडी :-.....
13. वर्तमान में किस शाला /संस्था में पदस्थ है :-.....
14. मूल विभाग का नाम :-.....
15. शैक्षणिक योग्यता

क्र	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत मै/ग्रेड	अध्ययन का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी
1	High School							
2	Higher Secondry School							
3	Graduation							
4	Post Graduation							
5	B.ed							
6	CTET/TET							
7	other							

11. मोबाईल नं. :-.....
12. ई-मेल आईडी :-.....
13. वर्तमान में किस शाला /संस्था में पदस्थ है :-.....
14. मूल विभाग का नाम :-.....
15. शैक्षणिक योग्यता

क्र	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत मै/ग्रेड	अध्ययन का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी
1	High School							
2	Higher Secondry School							
3	Graduation							
4	Post Graduation							
5	B.ed							
6	CTET/TET							
7	other							

16. नियमित पद पर (परीवीक्षा अवधि को छोडकर)शासकीय सेवा की जानकारी:

क्र	पदनाम	नियुक्ति/पदोन्नति का दिनांक	कब से कब तक	अब तक कुल सेवा अवधि	वेतनमान

17. सेवा अवधि में दण्ड/विभागीय जांच आदि की जानकारी:-

क्र	विभागीय जांच संस्थापित होने का दिनांक	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	शास्ति अधिरोपित का दिनांक

18. गोपनीय चरित्रावली का विवरण:-.....
(पिछले 05 वर्ष का वर्ष 2017 से 2021तक)
वर्ष 2022.....2021.....2020.....2019.....2018.....

16. पदस्थापना हेतु प्राथमिकता का क्रम:-

EMRS के विकल्प :-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

घोषणा पत्र

मैं..... घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में पूर्णतः सही है। विज्ञापन की सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया/ली हूँ तथा इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी अनुसार सत्य पूर्ण एवं सही है एवं आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत/असत्य पाये जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक:—.....

स्थान:—.....

आवेदक के पूर्ण हस्तरक्षार
(पूरा नाम एवं पता)

.....

परिशिष्ट—पांच

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए
सेवानिवृत्ति के पूर्व अंतिम नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०.....
पदसंस्था का नाम.....विभाग..
.....सेवानिवृत्त के समय अंतिम वेतनमान रुसे सेवा
निवृत्त हुआ /हुई है। इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच आपराधिक, न्यायालयीन
प्रकरण दण्ड आदि नहीं है। इनके पांच वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन निम्नानुसार है:—
वर्ष 2021.....2020.....2019.....2018.....2017.....

दिनांक.....

नियंत्रणकर्ता अधिकारी के
पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर

स्थान.....

परिशिष्ट—छ:

कार्यालय का नाम
फोन/फैक्स नंबर

क्र.....

दिनांक.....

अनुभव प्रमाण पत्र (शासकीय एवं शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं के लिए)

परिशिष्ट-पांच
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए
सेवानिवृत्ति के पूर्व अंतिम नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०.....

पदसंस्था का नाम.....विभाग..

.....सेवानिवृत्त के समय अंतिम वेतनमान रुसे सेवा

निवृत्त हुआ /हुई है। इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच आपराधिक, न्यायालयीन

प्रकरण दण्ड आदि नहीं है। इनके पांच वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

वर्ष 2021.....2020.....2019.....2018.....2017.....

दिनांक.....

नियंत्रणकर्ता अधिकारी के
पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर

स्थान.....

परिशिष्ट-छ:
कार्यालय का नाम
फोन/फैक्स नंबर

क्र.....

दिनांक.....

अनुभव प्रमाण पत्र (शासकीय एवं शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०.....

आत्मज श्री.....विद्यालय में.....पद पर

.....विषय का दिनांक.....सेकुल.....वर्ष.....

माह अध्यापन कार्य किया है।

इस दौरान इनका कार्य व्यवहार संतोषजनक रहा ।

प्राचार्य का हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

नाम.....

पद.....

सील.....